

दिनांक

आज्ञा पत्र

22.4.25

पञ्जावली पुरा। अपील अपीलेंट खादि
 की जारी की निर्णय पुपु है लिखवाया
 पा 50 खादिम पञ्जावली किया गया। पञ्जावली
 के निर्णय में 50 जलांक मुनाफा गया। पञ्जावली
 पुनः लुभुआर होकर नाम है 50 होकर बाद
 जारी व तदपील वाचिब पकर है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



23.4.25

अपीलेंट के द्वारा डा. एन. एन. 04/25
 CPC बरी किया। डा. एन. एन. 04/25
 गया। डा. एन. एन. 04/25 बरी किया।
 डा. एन. एन. 04/25 CPC बरी किया
 गकर न्यायालय द्वारा 2 दिवस
 दिनांक 22.4.25 की 10 दिवस का अवधि
 प्रस्तुत होने जो भी पदार्थ है
 लिखाईगत न्यायित भी जारी है। जारी
 पकर है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 156/2023

1 शम्भुदयाल पुत्र फूलाराम जाति अहीर निवासी ढाणी पूछलावाली तन नीमकाथाना तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

बनाम



1 बलबीर पुत्र अर्जुनराम

2 रतनलाल पुत्र अर्जुनराम

3 गिरधारी पुत्र अर्जुनराम

4 लालचन्द पुत्र अर्जुनराम

जाति अहीर निवासीगण ढाणी पूछलावाली तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

5 ग्यारसी देवी पत्नी गजानन्द

6 कैलाशचन्द पुत्र घासीराम

समस्त जाति यादव निवासी ढाणी पूछलावाली तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

7 सुल्तान पुत्र मूलाराम

8 साधूराम पुत्र मूलाराम


9 महावीर पुत्र फूलाराम

जाति यादव निवासीगण ढाणी पूछलावाली तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

10 तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला नीमकाथाना।

रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक
19.09.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
प्रकरण उनवानी बलबीर बनाम रतनलाल आदि मु.नं.
152/2016 अपील अ.धारा 223 आरटीएक्ट


भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 157/2023

1 शम्भुदयाल पुत्र फूलाराम जाति अहीर निवासी ढाणी पूछलावाली तन नीमकाथाना तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांट

बनाम



1 बलवीर पुत्र अर्जुनराम

2 रतनलाल पुत्र अर्जुनराम

3 गिरधारी पुत्र अर्जुनराम

4 लालचन्द पुत्र अर्जुनराम

जाति अहीर निवासीगण ढाणी पूछलावाली तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

5 ग्यारसी देवी पत्नी गजानन्द

6 कैलाशचन्द पुत्र घासीराम

समस्त जाति यादव निवासी ढाणी पूछलावाली तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

7 सुल्तान पुत्र मूलाराम

8 साधूराम पुत्र मूलाराम


9 महावीर पुत्र फूलाराम

जाति यादव निवासीगण ढाणी पूछलावाली तहसील व नवसृजित जिला नीमकाथाना राज.।

10 तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला नीमकाथाना।

रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध व अंतिम डिक्री दिनांक 13.03.2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना प्रकरण
उनवानी बलवीर बनाम रतनलाल आदि मु.नं. 152/16
अपील अ.धारा 223 आरटीएक्ट


मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट
3. श्री ईश्वरलाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट




-निर्णय-

दिनांक:- 22/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 152/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2017, 13.03.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रखी जावें।


प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 0.91 हैक्टेयर तन ग्राम राजनगर, खसरा नम्बर 26, 37 कुल किता 2 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर तन ग्राम गोडावास, खसरा नम्बर 23 खसरा नम्बर 40, 41 किता 3 कुल रकबा 3.50 हैक्टेयर तन ग्राम राजनगर तहसील नीमकाथाना स्थित है के संबंध में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1/वादी ने दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण का जरिए सम्मन तलब किया जिसकी अपीलांट के मृतक पिता फूलाराम पर सम्मन की विधिवत तामील हुए बिना ही वादी के सगे भाई रतनलाल द्वारा सम्मन लेने की तामील पर रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.08.2016 को मृतक फूलाराम की एकतरफा कार्यवाही की व प्रतिवादी संख्या 7 कैलाशचन्द द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। उसके आधार पर तनकीयात कायम कर वाद में विधिवत समस्त भूमियों के संबंध में बंटवारे की आज्ञा पारित न कर बिना कारण दर्शित किए विचारण न्यायालय ने वाद के पैरा संख्या 4 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1, 2, 28, 29, 33, 48 तन ग्राम राजनगर तहसील नीमकाथाना के संबंध में ही


 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



प्राथमिक डिक्री विधि विरुद्ध दिनांक 19.09.2017 को पारित कर दी व शेष वाद के पैरा संख्या 1 ता 3 के संबंध में कोई आज्ञा पारित नहीं की तथा विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व अपीलान्ट का पिता की दिनांक 08.02.2018 को फौत हो चुका था जिसके वारिसान को कोई नोटिस व सूचना दिये बिना ही तहसीलदार महोदय स्वयं मौके पर न जाकर बंटवारा प्रस्ताव पर अपने काउण्टर हस्ताक्षर मात्र किए व बंटवारा प्रस्ताव में मृतक फूलाराम का ही हिस्सा प्रस्तावित किया व जहां मृतक पिता अपीलान्ट को भूमि प्रस्तावित की है वहां कोई रास्ते को प्रस्तावित नहीं किया व रेस्पोंडेन्ट/वादी को मुख्य सड़क (रास्ते) पर भूमि प्रस्तावित की विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पहले अपीलान्ट को आपत्ति एतराज प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना व अपीलान्ट को प्रस्तावित भूमि का रास्ता प्रस्तावित किए बिना ही विरुद्ध कानून विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13.03.2018 को पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट अपने बाहमी बंटवारे में आयी भूमि पर बहैसियत खातेदारी काश्तकार काबिज चला आ रहा है। रेस्पोंडेन्ट/वादी ने अपने वाद में खसरा नम्बर 24 तन राजनगर खसरा नम्बर 26 व 37 ग्राम गोडावास तथा खसरा नम्बर 23, 40, 41, 1, 2, 28, 29, 33, 48 तन ग्राम राजनगर के संबंध में प्रस्तुत किया व रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 7 कैलाशचन्द्र ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय को तनकी कायम कर बाद साक्ष्य विधिवत रूप से प्राथमिक डिक्री जारी की जाने योग्य होते हुए भी बिना तनकी कायम किए व बिना साक्ष्य सबूत के ही वाद के पैरा संख्या 4 में वर्णित आराजियात खसरा नम्बर 1, 2, 28, 33, 48 के संबंध में बिना उचित कारण अंकित किए अपनी आज्ञा पारित कर दी जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है व उसके आधार पर आये बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने व आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिए ही आज्ञा जैर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण


 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर




न्यायालय ने मृतक फूलाराम व मूलाराम के सम्मनों पर तामील को देखे बिना ही उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने में गलती की है। मृतक फूलाराम व मूलाराम के सम्मन की तामील उन पर विधिवत नहीं हुई क्योंकि उनके सम्मन रेस्पोंडेन्ट/वादी का सगा भाई रतनलाल ने प्राप्त करना अंकित किया है व सम्मन पर भी मिली भगत कर रतनलाल के हस्ताक्षर करवाये हैं जबकि तामील आदेश 5 नियम 17 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार स्वयं असालतन होनी चाहिए यदि असालतन तामील न हो तो उसकी मां, पत्नी या बालिग पुत्र पुत्री जो शामिल रहते हो उन्हें सम्मन देकर तामील करवायी है तो ही तामील मान्य की जाने योग्य है। यहां तो प्रस्तुत प्रकरण में वादी के सगे भाई ने अपीलान्ट के पिता का सम्मन प्राप्त किया है जो किसी भी प्रावधान के तहत तामील माने जाने योग्य न होते हुए भी विचारण न्यायालय ने बिना सम्मन की तामीली रिपोर्ट को देखे ही उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आज्ञा जैर अपील पारित करने में गलती की है। विचारण न्यायालय में वाद के पैरा संख्या 1 लगायत 4 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 24, 26, 37, 23, 40, 41, 1, 2, 28, 29, 33, 48 के संबंध में वादी ने दावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बिना पक्षकारों के आवेदन के व बिना किसी उचित कारण को दर्शाये बिना ही खसरा नम्बर 1, 2, 28, 29, 33, 48 के संबंध में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी व शेष खसरों के संबंध में किसी प्रकार की आज्ञा पारित नहीं की व उनके संबंध में प्राथमिक डिक्री जारी न करने का कारण भी अंकित नहीं किया। अतः विचारण न्यायालय की आज्ञा जैर अपील कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के मृत पिता को अपना कथन व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना व अपीलान्ट का पिता आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व ही दिनांक 08.02.2018 को फौत हो चुका था आज्ञा जैर अपील एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित ही होने से भी कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना से विवादित आराजी के बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये

सू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



लेकिन तहसीलदार नीमकाथाना ने कोई बंटवारा प्रस्ताव तैयार न कर बंटवारा प्रस्ताव पर अपने काउण्टर हस्ताक्षर किये है व बंटवारा प्रस्ताव से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस व सूचना नहीं दी जिस रोज बंटवारा प्रस्ताव बनाये गये उस रोज अपीलांट का पिता फूलाराम पूर्व में ही फौत हो चुका था, लेकिन गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का ने अपने बंटवारा प्रस्ताव में उक्त तथ्य अंकित न कर मृत व्यक्ति का ही बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिया व जो विवादित भूमि मृतक फूलाराम को प्रस्तावित की भूमि खसरा नम्बर 28/2, 29, 33/1 में कोई रास्ते की व्यवस्था नहीं दी व रेस्पोंडेन्ट/वादी को मुख्य रास्ता पर भूमि प्रस्तावित कर दी। विचारण न्यायालय ने भी बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्ट को अपनी आपत्ति एतराज करने का कोई मौका नहीं दिया न नोटिस व सूचना दी व विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री ही मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की है जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं था लेकिन अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 के पिता फूलाराम व मूलाराम प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 की हैसियत से पक्षकार रहे है। मृतक फूलाराम का अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 9 जायंदा पुत्र है व उनकी सगी बहिन भी है लेकिन उन्होंने अपना हक अधिकार अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 9 के पक्ष में त्याग दिया है व इसी भांति मृतक मूलाराम के रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 व 8 जायंदा पुत्र है व उसकी जायंदा पुत्रियों ने भी अपना हक हिस्सा अपने सगे भाईयों रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 व 8 के हक में त्याग दिया है अतः मृतक मूलाराम व फूलाराम की जायन्दा पुत्रियों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 व 8 अपीलांट के साथ अपील में शामिल नहीं हुए। अतः उन्हें रेस्पोंडेन्ट बनाया है। रेस्पोंडेन्ट/वादी ने आज्ञा जैर अपील बाला बाला प्राप्त की है जिसकी जानकारी पूर्व में मृतक फूलाराम व अपीलांट को नहीं हो सकी लेकिन निर्णय व डिक्री की आड में रेस्पोंडेन्ट संख्या 7 व 8 ने विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कुचेष्टा करने पर अपीलान्ट के भाई महावीर


 मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
 पदेन राजसूय अपील अधिकारी
 सीकर



द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां दावा प्रस्तुत किया व उक्त वाद के सम्मन जब अपीलान्ट को प्राप्त हुए तो अपीलांट के अधिवक्ता ने आज्ञा जेर अपील के बारे में बताया। जिस पर निर्णय व प्राथमिक डिक्री की जानकारी हुई। जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 30.10.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया व अब नकल प्राप्त होते ही तत्काल अपील प्रस्तुत की जा रही है अपीलांट ने अवधि भीतर अपील जानकारी के अभाव में प्रस्तुत करने में मजबूरी रही है अपीलांट के हितों की रक्षा के लिए एवं सही निर्णय व न्याय के लिए अपीलान्ट को मियाद का फायदा दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुए देरी को कण्डोन किए जाने की कृपा करें।


विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि दोनों अपीले मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने पर सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 3 ए के अन्तर्गत मियाद के बिन्दु का निर्धारण किया जाना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र जानकारी नहीं होने का कथन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 21.12.2018 को फुलाराम अपीलांट के पिता की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत गौडावास द्वारा दिनांक 15.06.2018 को जारी वारिस प्रमाण-पत्र फुलाराम पर अपीलांट शम्भुदयाल के हस्ताक्षर है। इसके नीचे दिनांक 20.12.2018 अंकित है। इस संदर्भ में अपीलांट के भाई महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 28.04.2018 पर भी अपीलांट शम्भुदयाल के हस्ताक्षर अंकित है एवं दिनांक 20.12.2018 अंकित है। इसके उपरांत भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। यह आदेश दिनांक 18.08.2022 का है। इस आदेश में क्रम संख्या 1 में 6 नम्बर पर अपीलांट शम्भुदयाल पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर



फुलाराम के नाम का अंकन है। इसके पश्चात भूमि रहन रखी गई है। इस रहननामों का नामान्तकरण संख्या 20/09.02.2021 दर्ज किया गया है। इस रहननामों द्वारा अपीलांट के भाई महावीर प्रसाद पुत्र फुलाराम के नाम हिस्सा रहन दर्ज किया गया है। विवादित भूमि में अवाप्ति होने पर अवार्ड जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा अवार्ड की राशि भी प्राप्त की गई है। इन दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलांट को दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार 2018 से विचाराधीन प्रकरण एवं निर्णयों की जानकारी रही है। इसके उपरांत भी अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन कर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007(2) राज पेज 1196, आरएलडब्ल्यू 2013(1) आरजे पेज 224, आरएलडब्ल्यू 2009(1) आरजे पेज 787 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों अपीले मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने पर सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 3 ए के अन्तर्गत मियाद के बिन्दु का निर्धारण किया जाना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा केवल मात्र जानकारी नहीं होने का कथन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 53 दिनांक 21.12.2018 को फुलाराम अपीलांट के पिता की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत गौडावास द्वारा दिनांक 15.06.2018 को जारी वारिस प्रमाण-पत्र फुलाराम पर अपीलांट शंभुदयाल के हस्ताक्षर है। इसके नीचे दिनांक 20.12.2018 अंकित है। इस संदर्भ में अपीलांट के भाई महावीर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 28.04.2018 पर भी अपीलांट शंभुदयाल के हस्ताक्षर अंकित है एवं दिनांक 20.12.2018 अंकित है। इसके उपरांत भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड


 मू-प्रबन्ध अधिकारी एव
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर



अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। यह आदेश दिनांक 18.08.2022 का है। इस आदेश में क्रम संख्या 1 में 6 नम्बर पर अपीलांत शम्भुदयाल पुत्र फुलाराम के नाम का अंकन है। इसके पश्चात भूमि रहन रखी गई है। इस रहननामें का नामान्तकरण संख्या 20/09.02.2021 दर्ज किया गया है। इस रहननामें द्वारा अपीलांत के भाई महावीर प्रसाद पुत्र फुलाराम के नाम हिस्सा रहन दर्ज किया गया है। विवादित भूमि में अवाप्ति होने पर अवार्ड जारी किया गया है। अपीलांत द्वारा अवार्ड की राशि भी प्राप्त की गई है। इन दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलांत को दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार 2018 से विचाराधीन प्रकरण एवं निर्णयों की जानकारी रही है। इसके उपरांत भी अपीलांत द्वारा तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन कर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांत धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांत के पिता फुलाराम के अन्य किसी वारिस द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांत द्वारा धारा 5 के आवेदन में दर्ज विलम्ब के तर्क पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से अभिलेख के विपरित एवं मिथ्या साबित है। इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2013 (1) आरजे पेज 224 (एचसी) में अभिनिर्धारित किया है कि '**Limitation Act, 1963, Sec. 5 – Condonation of delay – Delay of more than one year in filing appeal – RAA condoned delay casually – No sufficient grounds shown – The only cause shown was false and contrary to the record – Held – Casualness further distorted by falsity cannot be the manner of proceedings before the Court either revenue or civil – Sought condonation of delay on manufactured grounds which was ex-facie false – Revenue Board rightly set aside the order – Warrants no interference u/Art. 227.**

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपीलांत द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से अपीलांत की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 22/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
 सीकर

